फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री मुकेश चन्द्र गाडरी निवासी लाठिया खेड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 106/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक–एफ/.1 ( )सू0अ0,05/2025/967 दिनांक 20.11.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत जरिये पोर्टल से इस कार्यालय को 03.11.2025 को प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 के संबंध में प्रार्थी को सूचित किया गया कि ईप्सित सूचना राज्य सरकार की वेबवाईट https://landrevenue.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की भावना को ध्यान में रखते हुए सूचना से वंछित करना भी समूचित नहीं होगा इस हेतु बिन्दु संख्या 02 की सूचना से संबंधित कोई पत्रावली क्रमांक या कोई आदेश हो तो प्रस्तुत करने हेतु, उक्त दोनों बिन्दु की सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 916 दिनांक 06.11.2025 से प्रार्थी को जरिये पोर्टल क्रमांक 2881218484 दिनांक 06.11.2025 से एवं जरिये डाक से सूचनार्थ हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन में बिन्दु संख्या 01 से 02 की सूचना के संबंध में प्रार्थी को निश्चित समयावधि कार्यालय के पत्रांक 916 दिनांक 06.11.2025 से सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के संबंध में ईप्सित सूचना राज्य सरकार की वेबवाईट https://landrevenue.rajasthan.gov.in/ पर	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपलब्ध है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की भावना को ध्यान में रखते हुए सूचना से वंछित करना भी समूचित नहीं होगा इस हेतु बिन्दु संख्या 02 की सूचना से संबंधित कोई पत्रावली क्रमांक या कोई आदेश हो तो प्रस्तुत करे। अतः अपीलार्थी को उक्त दोनों बिन्दु की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 916 दिनांक 06.11.2025 से एवं पोर्टल क्रमांक 2881218484 दिनांक 06.11.2025 से प्रार्थी को सूचित किया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर निर्णित किया जाकर अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 की सूचना राज्य सरकार की उक्त वेबसाईट का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते है। तथा बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना के संबंध में विशिष्टियॉ अंकित कर नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Arunh

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)